रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 24, 1985/भाद्र 2, 1907

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 24, 1985/BHADRA 2, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 3 जून, 1985

सा०का०नि० 786.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (अननुसचिवीय पद) (चार्ट और मानचित्र एकक) भर्ती नियम, 1964 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, योजना आयोग में ज्येष्ठ नक्शानवीस (चार्ट और मानचित्र एकक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग ज्येष्ठ नक्शानवीस (चार्ट और मानचित्र एकक) भर्ती नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदसंख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,—और अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

636 GI/85—1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1985

सा. का. नि. 804.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी महानिदेशालय (मुख्यालय) में प्रधान सुरक्षा गार्ड के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी महानिदेशालय (मुख्यालय) (प्रधान सुरक्षा गार्ड) भर्ती नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
प्रधान सुरक्षा गार्ड	2* (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	260-6-326-द. रो. 8-350 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा।	1. प्रोन्नति : ऐसे सुरक्षा गार्डों में से जिनकी उस श्रेणी में 8 वर्ष की सेवा हो। 2. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (1) प्रधान सुरक्षा गार्ड या हवलदार

12
क पंक्ति का अथवा केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों में समतुल्य पंक्ति का धारक कार्मिक या (2) कान्सटेबल की पंक्ति का ऐसा कार्मिक जिसकी केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों में आठ वर्ष की सेवा हो । टिप्पण :—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उस संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 3. पुनर्नियोजन :—सेवा निवृत्त या निर्मुक्त ऐसा सैनिक कार्मिक या सम-सैनिक बल का ऐसा सदस्य जो हवलदार की पंक्ति या सेना, नौसेना और वायुसेना में समतुल्य पंक्ति का पद धारण कर चुका हो और जो निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करते हों : (क) आयु 42 वर्ष से निम्न (ख) चिकित्सा प्रवर्ग 'क' (हो) (ग) चरित्र बहुत अच्छा अनुकरणीय (घ) शारीरिक— (1) ऊंचाई 165 से. मी. (पहाड़ियों या जनजातियों के व्यक्तियों के लिए 160 से. मी. तक शिथिल की जा सकती है । (2) सीना 81 से. मी. अप्रसरित, 5 से. मी. के प्रसार के साथ (ङ) सेवा में व्यतिक्रम 2 वर्ष से अधिक नहीं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
1. उप निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय—अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) योजना आयोग 3. उप निदेशक (सुरक्षा या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी)	लागू नहीं होता

[सं. 12019/4/80-जा. (ए)]
पी. एस. टोकस, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th July, 1985

G.S.R. 804.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Security Guard in the Directorate General (Headquarters) All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General (Headquarters) All India Radio, (Head Seucrity Guard) Recruitment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Head Security Guard	2* (1985) *(Subject to variation depending upon the workload)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	Selection	No	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable.	Two years.	By poromotion failing which by transfer on deputation failing both re-employment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
1. Promotion : From amongst Security Guards with eight years' service in the grade. 2. Transfer on deputation. (i) Personnel of the rank of Head Security Guard or Havildar or holding equivalent ranks in Central or State Police Organisations or (ii) personnel of the rank of constables with 8 years' service in Central or State Police Organisations. NOTE : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed three years. 3. Re-employment : Retired/released army personnel or members of para military Forces, who have held the rank of Havildar or holders of equivalent ranks in the Army, Navy and Air Force and who fulfill the following requirements: (a) Age— below 42 years. (b) Medical Category — 'A' (AXE) (c) Character — Very good/Exemplery (d) Physical standard :— (i) Height 165 cms. (Relaxable upto 160 cms for Hillmen or tribemen) (ii) Chest 81 cms. unexpanded with expansion of 5 cms. (e) Break in service not more than 2 years.	1. Deputy Director (Administration) (Headquarters) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) Planning Commission — Member. 3. Deputy Director (Secrity) or an Officer of equivalent rank, — Member.	Not applicable.

[No. 12019/4/80-B(A)]
P. S. TOKAS, Under Secy.